प्रथम–अध्याय

शोध परिचय

अध्याय प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना–

विद्यालयीन स्तर पर मौलिक कर्तव्यों का अनुशीलन।

अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के अन्योन्याश्रित होते हैं क्योंकि सहवर्ती कर्तव्य के बिना कोई कर्तव्य नहीं हो सकता है। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अपने मौलिक कर्तव्यों को जानना और उनका अनुपालन करना भी अति आवश्यक है। मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा विद्यार्थी को सद्व्यवहार व सदाचार का आधार तो प्रदान करती ही है उसे मन और आत्मा की उज्ज्वलता भी प्रदान करती है। विद्यार्थी को ऐसा प्रकाश देती है जिससे वह अपने साथ–2 सभी का हित साधन कर सकता है।

संविधान जीवन का वह मार्ग है। जिसे कोई भी देश अपने लिए अपनाता है। प्रत्येक देश का किसी–न–किसी रूप में संविधान अवश्य ही होता है और संविधान का यह रूप देश की परिस्थितियों के अनुसार होता है भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है इसका भी अपना एक संविधान है। इसे विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान माना गया है। यह 26 नवम्बर 1949 को बनकर तैयार हुआ इस दिन के आंशिक भाग को लागू करवाया गया और सम्पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इसके उद्देश्यों को परिलक्षित करती है।

लोकंतात्रिक शासन– व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा संविधान की एक प्रमुख विशेषता होती है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए अधिकार कहते है। अतः भारतीय संविधान के भाग ''तीन''में नागरिकों के मूल अधिकारों की घोषणा की गई है।

भारत वर्ष का अनादिकाल से कर्तव्योन्मुखी समाज रहा है। वेद एवं पुराण कर्तव्य परायण का संदेश देते है। भगवत गीता का मूल संदेश है

''कर्मण्येववाधिकारतें मा फलेषु कदाचचतः''। ऐसे देश के संविधान में प्रारंभ में कर्तव्यों को समाविष्ट नहीं किया गया था इसके पीछे संविधान निर्माताओं का पवित्र उद्देश्य संभवतः यही रहा होगा कि भारत जैसे देश में कर्तव्यों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है क्योंकि इसका अनुपालन तो प्रत्येक भारत स्वप्रेरणा से करता है। परन्तु समय के परिवर्तन के साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे कोई अन्योव्याश्रित होते है अधिकार और कर्तव्य एक ही नियम और घटनाओं के भिन्न-2 पहलू हैं अतएव यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक विधिक व्यवस्था को अधिकारों और कर्तव्यों दोनों पर आधारित होना चाहिए क्योंकि ये दोनों परस्पर स्थिरांक है।

विधि शास्त्रियों के एक वर्ग का माना है कि अधिकार और कर्तव्य को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है इस विचार के समर्थकों का माना है कि सहवर्ती कर्तव्य के बिना कोई अधिकार नहीं हो सकता है और सहवर्ती अधिकार के बिना कोई कर्तव्य नहीं हो सकता है।

कुछ विधि शस्त्रियों ने अधिकार को केन्द्र बिन्दु मानकर विधि की व्यख्या की है लाक ने पूर्ण अधिकार की बात की है। जबकि विधि शास्त्रियों का एक वर्ग विधि के विश्लेशण में अधिकारों की कोई भूमिका नहीं स्वीकार करता है। इसमें कर्तव्य को ज्यादा मौलिक एवं अधिकार से पूर्ववर्ती माना गया हैं कर्तव्य पर आधारित व्याख्या के प्रमुख विधि शास्त्री एव-ड्यूगिट है। **ड्यूगिट के अनुसार** प्रत्येक व्यक्ति का सभी के प्रति कर्तव्य है, पश्रतु किसी व्यक्ति का उचित रूप में कहा जाने वाले कोई अधिकार नहीं है। हमेशा अपने कर्तव्यों को पूरा करने के अधिकार को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है।

वर्तमान समाज में अधिकार ओर कर्तव्य दोनों का समन्वय होना चाहिए। फिर भी यह बात सही है कि यदि कर्तव्य का सभी लोग सही रूप से निर्वहन करे तो दूसरों के अधिकार अच्छी तरह से सुरक्षित हो सकते है। महात्मा गांधी कहॉ करते थे कि अधिकारों का वास्तविक स्त्रोत कर्तव्य है।

यद्यपि हमारे देश के संविधान में केवल अधिकरों का वर्णन है और कर्तव्य का वही परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे कुछ कर्तव्य नहीं है धर्मशास्त्रों में मनुष्यों के अनेक कर्तव्य बताए गए है इसके अतिकार आजकल प्रत्येक नागरिक के राज्य की तरह कुछ अन्य कर्तव्य भी होते है जिनका पालन उसे अवश्य करना पड़ता है वरना दण्ड मिलेगा। हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य है ओर कुछ कानूनी (वैधानिक) कर्तव्य है। जिसका वर्णन नीचे दिया गया है।

- **नैतिक कर्तव्य –**

यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने माता–पिता, गुरू, अध्यापक, भाई–बहन तथा अन्य संबंधियों की सेवा करे दुखियों और निर्धनों की सहायता करना भी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है अपने परिवार का पालन पोषण और इस हेतु ईमानदारी से धन कमाना भी प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। अपने ग्राम, प्रति देश और संसार मात्र की अधिक–से–अधिक सेवा करना भी हमारा परम कर्तव्य है हमारे देश पर 20 अक्टूबर 1962 ईसवी को विशाल पैमाने पर चीन का आक्रमण हो गया था इसलिए 28 अक्टूबर, 1962 ईसवी के संकटकालीन घोषणा (Emergency) कर दी गई। 1965 और 1971 ईसवी में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। जब हमें अपने पड़ोसी देशों से खतरा बना हुआ है, तो हमारा परम कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने देश की तन, मन और धन से रक्षा करें।

- **कानूनी कर्तव्य –**

नैतिक कर्तव्यों और कर्तव्यों में महान् अंतर है नैतिक कर्तव्यों का पालन मनुष्य की अंतरात्मा पर निर्भर है परन्तु कानूनी कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है, वरना कानून के उल्लघंन होने पर दण्ड मिलता है अपने देश के संविधान का पालन करना, कानून को मानना तथा सब करों को ईमानदारी से चुकाना नागरिकों का कानूनी कर्तव्य है। अपने देश की तरफ भक्ति रखना भी हमारा कर्तव्य है, देश–द्रोही को कानून के अनुसार दण्ड मिलता है यदि सरकार संकटकाल में सेना में अनिवार्य भर्ती कर दें, तो हमारा कर्तव्य है कि सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करें।

भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अनिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल करना।

पहली सितम्बर 1976 के लोक सभा में प्रस्तुत 44 वे संविधान विधेयक में नागरिकों के लिए दस मूल कर्तव्य शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। यह संविधान संशोधन विधेयक बाद में 42 वां संविधान संशोधन बना। राज्य में अधिकार और कर्तव्य अभिन्न है एक ही चीज के दो पहलू है।

डॉ. बेनी प्रसाद लिखते है–"अगर प्रत्येक व्यक्ति अधिकारों का ही ध्यान रखे तथा दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन न करें तो शीघ्र ही किसी के लिए भी अधिकार न होंगे।

कर्तव्यों और अधिकारों में घनिष्ठ संबंध है, यह इस बात से भी सिद्ध होता है कि हमें भाषण, लेखन, घूमने–फिरने संस्थाऐं बनाने और किसी भी धर्म को मानने या ना मानने का अधिकार है तो हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम अपने भाषण तथा लेखन द्वारा को घृणा न फैलाए और सरकार को हिंसात्मक ढंग से पलटने के लिए कोई गैर–कानूनी संस्था न बनाए यदि हमे वोट का अधिकार है तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसका सदुपयोग करें और ईमानदार तथा योग्य व्यक्ति को वोट दें यदि हमें सड़क पर गाड़ी चलाने का अधिकार है तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम उसे बाई तरफ चलाएँ ताकि दुर्घटनाऐं न हो।

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग–4 'क' को जोड़कर किया गया है कि जहाँ संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वहां मूल कर्तव्यों का भी समावेश होना चाहिए प्रस्तुत संशोधन पारित किया गया है नये अनुच्छेद 51 (क) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्य निम्न हैं।

1.2 मौलिक कर्तव्यः–

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, और राष्ट्रगान का आदर करें।

2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोय रखे और उनका पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, और अक्षुण्ण बनाये रखे।
4. देश की रक्षा करें और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म भाषा औरा प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद-भावों से परेय हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध है।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नयी ऊँचाईयों को छू सकें।
11. 2002 ई. में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया है। ये है प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक अपनी संतान को या अपनी निगरानी में पल रहे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा संबंधी अवसर प्रदान करेंगे।

इस उपबंध के द्वारा जापान, इटली, सेवियत रूस, चीन और अत्य यूरोपियन देश के संविधानों की भांति भारतीय संविधान में भी अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख कर दिया गया है।

मूल कर्तव्यों संबंधी इस व्यवस्था की प्रमुखतः दो आधारों पर आलोचना की जाती है।

1. कर्तव्यों के उल्लंघन पर दण्ड की व्यवस्था के अनेक देशों के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि नागरिक मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेगे, तो उन्हें मूल अधिकारों से तथा नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, किन्तु भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लंघन किए जाने पर दण्ड की व्यवस्था नहीं की है।

2. **भाषा की अस्पष्टता –**

संविधान में वर्णित कई मूल कर्तव्यों की मूल कर्तव्यों की भाषा अस्पष्ट है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन सुधार की भावना और सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा आदि। ऐसी बाते है, जिनकी व्याख्या लोग अपनी–अपनी विचार धारा एवं मान्यता के अनुसार मनमाने रूप से कर सकते है। शिक्षा जीवन की बुनियाद है। शिक्षक और शिक्षार्थी उस बुनियाद की नीव के पत्थर है। जीवन के मूल्यों–मानों, नैतिकताओं सभ्यता और संस्कृतियों का निवास करते हुए युगानुकूल विकास के द्वारा जहाँ नवमूल्यों की प्रतिष्ठा करनी हैं, वही शाश्वत की प्रतिष्ठा करनी है; वहीं शाश्क्त मूल्यों का पोषण एवं सम्बर्द्धन करना है।

शिक्षा जगत में आज इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी उस दुनिया है। शिक्षक और शिक्षार्थी न सिर्फ मूल–भूत कर्तव्यों को जाने, अपितु व्यवहार में उनका अनुपालन भी करें कर्तव्योन्मुख समाज की स्थापना हेतु यह परम आवश्यक है कि प्रत्येक बालक को इस विषय में पूरी जानकारी दी जाए। भारत की अधिकांश जनता निरक्ष है और उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और मूल कर्तव्यों का कोई ज्ञान हीं है। अतएवं उच्चतम न्यायालय ने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक शव्य (1993) के बाद में कहा है कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अनु. 21के तहत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकर है।

जबकि उन्नीकृष्णन के बाद में इसे 14 वर्ष तक के बालकों तक सीमिति कर दिया गया। अतः विद्यालय में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त करने वाले विद्यालियों को अपने मौलिक कर्तव्यों जानना और उनको अनुपालित करना भी आवश्यक है।

मौलिक कतर्तव्यों का ज्ञान व्यक्ति में सहज मानवीय गुणों को उजागर करने में निश्चय ही बहुत अधिक सहायक हो सकता है। मौलिक कर्तव्यों की की शिक्षा व्यक्ति को सद्व्यवहार, सदाचार का आधार तो प्रदान करती ही है, उसे मन और आत्मा उज्जवलता ही विद्यार्थी को वह प्रकाश देती है। जिससे वह अपने साथ-साथ सभी का हित साधन कर सकता है। अतः इस संबंध में विद्यालयों में कुछ कारगर उपाय अपनाये जा सकते हैं। जिनके माध्यम से इस संवैधानिक एवं नैतिक लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकें। कुछ उपाय इस प्रकार है -

1. कला शिक्षण -

विद्यालय में कला शिक्षण के दौरान प्रत्येक अध्यापक- अध्यापिका का यह कर्तव्य है कि वह बच्चों को इन कर्तव्यों के बारे में जानकारी दें। कर्तव्य पालन के महत्व एवं आवश्यकता को स्पष्टत करें तथा इसके अनुपालन से होने वाले लाभों का भी जिक्र करें।

2. सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से -

विद्यालय में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में झलकी के माध्यम से कर्तव्य पालन की प्रस्तुती करवायी जानी चाहिए। लघु-नाटिकाओं में बालकों को प्रेरित करने की आकर्षक शार्वत होती है अतएवं ऐसी लघु नाटिकाओं में भी कर्तव्य-पालन की महत्ता का स्पष्टीकरण करते हुए उसके पालन पर जोर देना चाहिए।

3. पाठ्येत्तर क्रिया-कलापों के माध्यम में -

विद्यालय मे शिक्षण कार्य के अतिरिक्त एक पीरियड पाठ्योत्तर किया-कलापों का होना चाहिए। इस अवधि में कर्त्तव्योंन्मुख शिक्षक पद्धति को अनुपालित करते हुए बच्चों में परिचर्चाए आयोजित करवानी चाहिए समूह-चर्चा

के माध्यम से इस पर बल देने का प्रयास करना चाहिए। इस अतिरिक्त निबंध लेखन एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए, कि ऐसे विषय चुने जाएं जिनमें दायित्व को समझते हुए अपने विचारों को मौलिक रूप से व्यक्त करें ताकि कर्तव्य का अनुपालन एक सहज क्रिया के रूप में स्वीकार्य हो।

- **प्रदर्शनी के आयोजन द्वारा –**

विद्यालयों में समय-समय पर बच्चों द्वारा पोस्टरों, उनके द्वारा लिखित नारों इत्यादि की प्रदर्शनी लगवाई जानी चाहिए। इसमें श्रेष्ठ कृति को पुरुस्कृत कर उत्साहवर्धन का प्रयास भी करना चाहिए।

- **सूचना पट्ट का अंकन द्वारा –**

सूचना पट्ट के एक ओर सभी मौलिक कर्तव्यों उल्लेख किया जाना चाहिए एवं इनमें से एक-एक कर्तव्य की विस्तृत व्याख्या प्रार्थना सभी के दौरान होनी चाहिए। राष्ट्रगान करने से पहले अथवा बाद में राष्ट्रगान करने से पहले अथवा बाद में राष्ट्रगान करने से पहले अथवा बाद में राष्ट्रगान के उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए।

- **चिन्हों की पहचान –**

प्रत्येक विद्यार्थी को राष्ट्रीय धरोहरों की पहचान कराने के लिए विद्यालयों में पोस्टर इत्यादि लगवाए जाने चाहिए। जैसे-राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त रंगों का क्या संदेश हैं? और ध्वज के बीचोबीच उल्लिखित चक्र क्या शिक्षा देता है इसकी सूक्ष्म व्याख्या भी करनी चाहिए।

- **अनौपचारिक प्रक्रिया –**

अनौपचारिक तरीके से जैसे वार्तालाप के दौरान भी कर्तव्योन्मुख दृष्टिकोण को अपनाने की भावना प्रस्फुटित होनी चाहिए।

3 जनवरी का दिन मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में जाना जाता है। अतः प्रत्येक विद्यालय में 3 जनवरी के दिन मौलिक कर्तव्यों के महत्व एवं

आवश्यकता पर केन्द्रित कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए तथा मौलिक कर्तवय दिवस में सन्निहित उद्देश्य से विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहिए।

स्पष्ट है कि इन पद्धतियों के अनुपालना के द्वारा बहुत हद तक मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का संचार किया जा सकता है।

1.3 मौलिक कर्तव्यों का महत्व एवं आवश्यकता

अधिकारों और कर्तव्यों का संबंध सदैव से ही रहा है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक के बिना दूसरा अस्तित्वहीन हो जाता है। कर्तव्यों के बिना अधिकारों की माँग करना नीति संगत और न्यायोचित नहीं है। बाईल्ड के शब्दों में केवल कर्तव्यों के संसार में ही अधिकारों की प्रतिष्ठा है संविधान के 42 वें संशोधन द्वारा नागरिकों के लिये कर्तव्यों का समावेश करके हमारे संविधान की एक बहुत की कमी को पूरा किया गया है। अतः मौलिक कर्तव्यों के महत्व को निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है।

1. **सम्प्रभुता तथा अखण्डता की राग** – मौलिक कर्तव्यों के द्वारा नागरिको के यह निर्देश दिया गया है कि वे देश की सम्प्रभुता एकता और अखण्डता की रक्षा करें यदि सभी नागरिक निष्ठा एवं ईमानदारी से अपने इस कर्तव्य का पालन करने लग जाये तो भारत की सम्प्रभुता एवं अखण्डता चिरस्थायी बनी रहेगी।

2. **स्त्रियों का सम्मान –**

मौलिक कर्तव्यों का इसलिए भी महत्व है कि इसके पालन करने से समाज में स्त्रियों की सम्मान प्राप्त होगा, जिसमें उनकी गरिमा में वृद्धि होगी और लिंग संबंधी भेद–भाव समाप्त होकर समानता स्थापित होगी।

3. **देश की सुरक्षा –**

मौलिक कर्तव्यों द्वारा देश के नागरिको का आव्हान किया गया है कि वे संकेत के समय देश की सुरक्षा हेतु तन–मन–धन से अपना योगदान दे।

पुस्तकालय Library

4. विश्व–बंधुत्व की भावना का विकास –

मौलिक कर्तव्यों में भारतीय नागरिकों को सद्भावना तथा भाई–चारें की भावना बनाये रखने का निर्देश दिया गया है।

निर्देश और परामर्श मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगे।

5. देश की प्रगति में सहायक–

नागरिकों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाये जाने से देश की प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा और विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जायेगा।

6. संस्कृति की रक्षा और संरक्षण –

भारत में समन्वित संस्कृति होने के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न प्रकार की गौरवशाली परम्पराऐं है। मौलिक कर्तव्यों के पालन से हम विभिन्न प्रकार की इन परम्पराओं में समन्वय स्थापित कर सकेंगे और उनका संरक्षण कर सकेंगे। इसमें भारत की संस्कृति एकता सुदृढ़ होगी।

7. प्राकृतिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा –

भारत में प्राकृतिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करने में लोग कोई संकोच नहीं करते। कर्तव्यों में दिए गए निर्देश के पालन में प्राकृतिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा होगी। साथ ही देश की प्रगति भी होगी।

8. लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक –

भारत द्वारा अपनायी गयी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का आदर करेगे, जिससे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सुदृढ होगी।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हमारे मौलिक कर्तव्यों संविधान नैतिक के सर्वाधिक मोलिक और महत्वपूर्ण अंग है। इन कर्तव्यों के पालन से ही हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र की नींव सुदृढ होगी, इन कर्तव्या से ही हमारी मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकती।

1.4 विद्यालयीन क्षेत्र में मौलिक कर्तव्यों का अनुभव

मानव एक सामाजिक प्राणी और राज्य तंत्र का नागरिक होने के नाते व्यक्ति के कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और प्रतिबद्धता न हो, तो कोई भी आदर्श प्राप्त नहीं किया जा सकता अच्छे स्व-शासन का आदर्श व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्रीय सरकार के प्रमुख मूल्य बुनियादी संवैधानिक मूल्य तथा नागरिकता के मूल्य और व्यक्ति की प्रतिष्ठा से संबंधित अन्य मूल्य सभी नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सह-समबद्धता के साथ इतने अभिन्न रूप से जुड़े हुए है कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता।

किसी देश का संविधान एक बुनियादी कानून होता है जो अपने राज्यतंत्र के मौलिक सिद्धान्त निर्धारित करता है। इसकी प्रस्तावना में कुछ अपरिवर्तनीय बुनियादी संवैधानिक मूल्य सिद्धान्त और नैतिक नियम भी प्रतिष्पादित होते है और इसमें ऐसे सभी लोगों के मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध भी होते है। जिन्हें इनकी व्याख्या करनी होती है और इन्हें व्यवहारिक तौर पर लागू करने होता है लोकतंत्र की एक बड़ी शक्ति बुद्धिमत्तापूर्ण निदान और उत्तरदायी मार्गदशन द्वारा स्वयं में सुधार लाने की इसकी क्षमता में निहित है मान इतिहासकार ओर राजनीति लाई ब्राइस का कहना था **"संभवतः किसी अन्य स्वरूप वाली सरकार को महान नेताओं की इतनी जरूरत नहीं होती, जितनी की लोकतंत्रिक सरकार को उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने और आम भलाई की तलाश में लोगों के प्रतिनिधि के रूप में अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वाहन करने के लिए एक उदाहरण स्थापित करना होता है तथापि किसी को महात्मा गांधी और उनके जैसे समर्पित भावना और दृष्टि वाले महान निस्वार्थी लोकतंत्र नेता कहाँ मिल सकते है।"**

मौलिक कर्तव्य कंटवादी दृष्टि से नैतिक स्वरूप के स्पष्ट आदेश होते है और ये आदेश संविधान द्वारा दिए गए है। ये ऐसे मूल्य है जो भारत के नागरिक को छोटे-छोटे संकीर्ण स्वार्थो से ऊपर उठाने के लिए कहते है ताकि संविधान में यथा प्रतिपादित राष्ट्र की आम भलाई और सह नागरिकें के कल्याणर्थ कार्य किया जा सके।

देश सह–नागरिकों और आम समाज के प्रति तदनुरूप दायित्वों, उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के स्वीकार करना।

किसी गणतंत्र का नागरिक होने पर, उन दायित्वों को स्वीकार करना पड़ता है जो कि मूलतः नैतिक होते है। सैद्धान्तिक तौर पर कोई यह तर्क दे सकता है कि संविधान में अधिष्ठापित नागरिकों के सभी अधिकार तत्स्वरूप कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी डालते है। जो कि केवल नैति स्वरूप के न होकर अधिकार विधि स्वरूप के होते है। एक प्रख्यात अमरीकी विचारक बाल्टर लिपमैन द्वारा दिया गया वर्क यह है कि **"जिस प्रत्येक अधिकार की आप इच्छा करते है, उसके लिए आपका एक कर्तव्य भी है जिसे आपके अवश्य पूरा करना चाहिए"**

किन्तु यदि यह बात स्वीकार भी कर ली जाए कि कर्तव्य के अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता तो भी इस बात पर संदेह रह जाता है कि क्या भारतीय संविधान के भाग–प्प् (अनुच्छेद 12–30) में मौलिक अधिकारों के तदनुरूप मौलिक कर्तव्यों के जिन्हें कानून से आबद्धकर कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। न्यायिक दृष्टि से प्रवर्तित किया भी जा सकता है या नही इस बात पर किसी को कदाचित कोई संदेह नहीं हो सकता कि उचित शिक्षा के जरिए भारतीय नागरिको के दिल और दिमाग में सभी अधिकारों के अनुरूप कर्तव्यों की नैतिक भावना भरना जरूरी है ताकि वे इन कर्तव्यों के नैतिक दृष्टि से बाध्यकारी स्वरूप को समझ और सराह सके और इसे उचित महत्व प्रदान कर सकें।

यदि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा अन्य अधिकारों ने निहितार्थ द्वारा विधि रूप से बाध्यकारी मौलिक कर्तव्य और दायित्व लागू किये होते, तो पिछले अर्धशतक से हमारे यहाँ गणतंत्र होने के कारण हमारे नागरिकों में मौलिक अधिकारी तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की फलदायक प्राप्ति की भावना उत्तरोतर बढ़ जानी चाहिए। यदि ऐसा हुआ होता, तो संविधान (42 वाँ संशोधन 1976) विधेयक, संसद से हडबड़ी में पारित करवाने की आवश्यकता न पड़ती इस अधिनियम ने केवल मौलिक स्वतंत्रताओं पर भारी रोक ही नही लगाई और व्यापक समीक्षा को बेहद सीमित ही नहीं किया

अपितु प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुच्छेद 51 क को शामिल कर दिया अपितु प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुच्छेद 51 क के शामिल कर दिया। अपात स्थिति में विशेष संदर्भ में कुछ लोगों ने तब यह सोचा था कि मौलिक कर्तव्य निर्धारित करना मौलिक अधिकारों के रोंदने के लिए केवल एक बहाना था। अन्य लोग जो बार–बार की हड़तालों, धरनों, घेरावों और लोक सेवाओं में रूकावट के रूप में अधिकारों का दुरूपयोग किए जाने से तंग आ चुके थे उन्होंने संवैधानिक लक्ष्यों और विचारों की पूर्ति के लिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए जाने का स्वागत किया था।

नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों निर्धारित करने वाला अनुच्छेद 51 क में वास्तव में मुख्यतः केवल नीचे दिए अनुसार नागरिकता के मूल्यों का उल्लेख किया गया है।

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शो संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो के हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाये रखें।
4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हो।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, दी और वन्य जीव है रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान National Institute of Education पुस्तकालय

9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।

10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाईयों को छू सकें।

परन्तु राष्ट्र के प्रति नागरिकों के ये कर्तव्य न तो समूपर्ण है और न ही ये सम्पूर्ण हो सकते है। क्योंकि लोकतंत्र और नागरिकता दोनां बदलती हुई समाजगत वास्तविकता के साथ बढ़ते और विकसित होते रहते हैं। ये वस्तुतः महान आदर्शो, नैतिक उपदेशों और नागरिकता के मूल्यों के अभिव्यक्त करते है कर्तव्य के ठोस रूप में निर्धारित करना होता है और यह जरूरी है कि इन पर न्याय प्राप्त किया जा सकता हो अर्थात् ये वाद योग्य हो, कुछ अपवादों के छोड़कर ये न तो वाद-योग्य है और न ही प्रवर्तनीय, जिसके कारण है उपयुक्त कानून या प्रवर्तन योग्य उपबंध का न होना तथा प्रभावी क्रियान्वयन तंत्र का अभाव।

उदारणार्थ, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 और से प्रतीक और नाम अनुचित पयोग निवारण) अधिनियम 1950 राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान औरभारतीय संविधान का सही प्रयोग और सम्मान सुनिश्चित करने और असम्मान को रोकने अथवा अनुचित प्रयोग के रोकने के लिये अधिनियम किए गए थे विधिविरू, कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम (1967) और भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) की धाराऐं 295-298

(अध्याय 15) साम्प्रदायिक संगठनों के गठन और धर्म संबंधी अपराधों पर ध्यान रखती है, आई.पी.सी की धारा 153-ए लोगों के विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता या दुर्भाव उत्पन्न करने वाले गतिविधियों का ध्यान रखती हैं।

मौलिक कर्तव्यों के मौलिक अधिकारों के समान प्रवर्तनयोग्य बनने के लिए, विवशता अथवा दण्ड के तत्व की आवश्यकता होती है जिनके आधार पर न केवल इनका उल्लंघन रोका जा सकें अपितु किसी प्रकार से इनका अनुसरण या अनुपालन न किए जाने पर उपयुक्त जुर्माना भी किया जा सकें दण्ड दिया जा सकें। वास्तव में इनमें से अधिकांश कर्तव्यों का किसी दण्ड की परवाह किए बगैर छ रोज उल्लंघन किया जाता है।

1.5 मौलिक कर्तव्यों के संहिताबद्ध करने की आवश्यकता –

कानूनी तौर पर बाध्यकारी मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इन्हें संहिताबद्ध करना और इनका यथावश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए करता एक निर्देशक विधान अधिनियम करना जरूरी है और साथ ही कार्यान्वयन के लिए नीति भी अपनाने की आवश्यकता है। सभी लोग जानते है कि तेजी से बदलते हुए आधुनिक समाज में, पारंपरिक मूल्य, रिवाज, नैतिकता और लोकचार पुराने पड़ गए है, और दुर्भाग्यवश आज के समय सभी समस्याओं का विधिक समाधान मांगा जाता है हालांकि कानून की अपनी सर्वविदित सीमाएं है जब कानून किसी सभ्य समाज के जीवन की सहज–स्वभाविक आदत और नागरिकों की नैतिकता अथवा नीतिशास्त्र बन जाए तो यह वस्तुताः महत्वपूर्ण और प्रभावी हो सकता है। अन्यथा नागरिक और राजतंत्र, अल्पावधिक स्वार्थी हितों के लिए बिना किसी भय के कानून के नियमों की उल्लंघन करते है गणतंत्र के बनाए रखने और मौलिक अधिकरों की सुरक्षा तथा व्यक्तिगत स्वतंत्राओं के बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ राजनीति प्रयासों की जरूरत होती है जो लोकतंत्र को स्थापित करती है। और उसका पोषण करती है, और जो एक मौलिक कर्तव्य के रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के लिए वास्तविक सम्मान के बढ़ावा देने के लिए नैतिक विश्वास और विधि प्रतिबंधों पर आधारित होती है इसके लिए गणतंत्र का अपनी चालक शक्ति के रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रताओं के लिए वास्तविक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए नैतिक विश्वास और विधि प्रतिबंधों पर आधारित होती है। इसके लिए गणतंत्र का अपनी चालक शक्ति के रूप में मुख्यतः नैतिक उद्देश्य अवश्य होनी चाहिए ताकि किसी गणतंत्र का नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों और दायित्वों को मूलतः नैतिक रूप में और उनके विधिक बाध्यकारी स्वरूप के आधार के रूप में स्वीकार कर ले। अलग–2 नागरिकों और गणतंत्र भी संस्थागत आधारित संरचना के पीछे कानूनी शासन की बुनियाद के रूप में नैतिकता की भावना अवश्य होनी चाहिए।

कर्तव्य बोध जागरूकता एक गुण भी है और एक मूल्य भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि गुण या मूल प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक की औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा सेवाकालीन कार्यक्रमों के जरिए तथा जन संचार माध्यमों के जरिए अवश्य उत्पन्न किया जाना चाहिए। इस संबंध में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में जस्टिस वर्मा कमेटी की अववोधक रिपोर्ट (1999) में मौलिक कर्तव्यों और मूल्यों की शिक्षा देने के उद्देश्य से पाठ्यचर्या और सह-पाठ्यचर्चा क्रियकलापों के पुनः अनुकूलन के बारे में और नागरिकों विधान मंडली में उनके प्रतिनिधियों और सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार निर्वहन किए जाने के लिए कार्य नीतियों को अमल में लाने के बारे में महत्वपूर्ण सिफारिशे की गई इसमें यह बात स्वीकार की गई कि सामाजिक सराहना अधिक शक्तिशाली होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण कदम यह होगा ताकि सही पाठ्यक्रम के जरिए बच्चों को शिक्षा दी जाए और इन पाठ्यक्रमों के चलाने के लिए अध्यापकों के प्रभावी ढंग से तैयार किया जाए। हमारे सम्माननीय विधायको के आचरण को जानते हुए इसमें यह विचार व्यक्त किया गया है कि ''यह सुनिश्चित करने के विशेष प्रयास किए जाए कि हमारे विधायक (अपने) कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे क्योंकि ये कर्तव्य नागरिकों के रूप में उनके भी कर्तव्य है किन्तु इस समय ऐसा प्रतीत नहीं होता'' इसमें यह बात भी स्वीकार की गई है कि नागरिकों द्वारा दायित्वों ओर दायित्वों का पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अनुशासन की व्यवस्था की जा सकें इस रिपोर्ट में विचारवान नागरिकों की इस आमराय को ठहराया गया है कि मौलिक कर्तव्यों की मौलिक अधिकारों से अलग नहीं किया जा सकता वस्तुतः अब नागरिकों के दायित्वों और कर्तव्यों के बढ़ावा देने का समय आ गया है।

लोकतंत्र और संवैधानिक उदारवाद का अभिप्राय एक उद्देश्यपरक अच्छी सरकार से है जो उत्तर भलाई के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास करें। अच्छा शासन उन लोगों पर कर्तव्यो और उत्तरदायित्वों का बोझ भी डालता है, जिन्हें जनता के शासन के कार्यो का स्वरूप देने का काम सौंपा गया है। निर्णायक प्रश्न जो विधिक रूप से बाध्यकारी और प्रवर्तन योग्य ऐसे

मौलिक कर्तव्यों के बारे में उत्पन्न होते है। जो स्वस्थ्य और सार्थक लोकतंत्र सुनिश्चित कर सकते है इस प्रकार है सत्ता के भंडार के रूप में सार्वजनिक कार्यो में भाग लेने मुक्त रूप से अपने प्रतिनिधि चुनने और उसके आचरण पर लगातार नजर रखने के संदर्भ में नागरिक के मौलिक कर्तव्य क्या है? निर्वाचित निकायों के भीतर और उनसे बाहर, जन प्रतिनिधियों के मौलिक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर के, विधिवत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के लिए अपने उम्मीद्वारों का चयन करने चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने और कार्यान्वित करने तथा उनके सत्तारूढ हाने या विरोधी दल होने की स्थिति में मतदाताओं के प्रति उनकी भूमिका के संबंध में मौलिक कर्तव्य क्या है? सरकारी कर्मचारियों अथवा सार्वजनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के मौलिक कर्तव्य क्या है?

यही उपयुक्त समय है जब, संसदीय लोकतंत्र के सभी किरदारों के मौलिक कर्तव्यों के संहिताबद्ध करने का काम किसी उच्च अधिकार प्राप्त आयोग, अथवा भारतीय विधि आयोग अथवा उचित रूप से गठित चुनाव आयोग (न कि पूर्व सिविल कर्मचारियों से गठित आयोग) के सौंपा जाना चाहिए।

विशेष रूप से, सरकारी कर्मचारियों और सरकारी पदधारकों के मौलिक कर्तव्य सविस्तार स्पष्ट किए जाने चाहिए और इन्हें प्रवर्तनीय बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी का नकाब पहन कर वस्तुतः मालिक बन बैठे है। जिनकी कोई प्रभाव जवाबदेही नहीं है इस संबंध में सार्वजनिक जीवन में मानदंडों के संबंध में यू.के. की लार्ड नौलेन समिति द्वारा प्रतिपादित सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों द्वारा प्रदान किया गया। मार्गदर्शन गौरतलब है जिनका उल्लेख नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में गठित वर्मा समिति ने भी किया है "ये सिद्धान्त सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होते है और इन्हें नीचे प्रस्तुत किया है।

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश
Regional Institute of Education, Bhopal
पुस्तकालय
Library